

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

राँची

दिनांक :- २१/१२/१६

अधि.सं.—०१/स्था.(चा.प्र.)—१०—०५/२०१६.....३९७...../श्री रणधीर कुमार श्रीवास्तव (आई.डी.—एम.—६७६), सहायक अभियंता (यॉ.), सिंचाई यॉत्रिक अवर प्रमंडल सं.—०१, देवघर को स्थानान्तरित करते हुए अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्वतंत्र चालू प्रभार के रूप में कार्य करने हेतु मुख्य अभियंता (यॉ.), जल संसाधन विभाग, राँची के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

२. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
३. मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो वर्तमान में देय है।
४. भविष्य में निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें सहायक अभियंता (यॉ.) के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
५. मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।
६. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हेमन्त कुमार भक्त
२१-१२-१६

(हेमन्त कुमार भक्त)

सरकार के उप सचिव(प्र.)।

ज्ञापांक :- ३९७

राँची, दिनांक :-

२१/१२/१६

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी २५ (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

हेमन्त कुमार भक्त
२१-१२-१६

(हेमन्त कुमार भक्त)

सरकार के उप सचिव(प्र.)

ज्ञापांक :-

3971

रॉची, दिनांक :-

21-12-16

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, आवास विभाग, झारखण्ड रॉची/ निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, रॉची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉची/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार त्यागकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को देंगे।

(हेमन्त कुमार भक्त)
सरकार के उप सचिव(प्र.)